राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (153)काशि/अनु/2012/781 दिनांक 27/7/12

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवंटित सकाय/विषयों सहित सत्र 2012–13 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है–

संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय / संकाय
लोक कल्याण सेवा समिति, पुराने लक्ष्मण मन्दिर के पीछे, भरतपुर	मास्टर सोमनाथ लॉ कॉलेज, एन.एच–11, आगरा रोड, ग्राम घसोला, भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।	एल.एल.बी. तीन वर्षीय, एल.एल.बी. पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम।

1. संस्था प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी ।
4. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा ।
5. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
6. संस्था को यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
7. संस्था/ महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कोंसिल द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/ दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
9. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
11. संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी ।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

SECRETARY
Lok kalyan Seva Samiti
Bharatpur (Rajasth...

CS CamScanner

नोटः— उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड

(क) जिन्होनें तीन वर्ष की अवधि मे मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि एवं भवन की व्यवस्था कर ली हो ।

(ख) प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की स्थायी नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।

(ग) छात्र–छात्राओ की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो ।

(घ) संस्था के वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो ।

(ङ) विभाग के निरीक्षण दल के द्वारा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंषा की गई हो।

निदेशक
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
8. सबंधित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)

CamScanner

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/

e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (89)आकाशि/नि.रा./2012/927 दिनांकः 20-06-2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत **सत्र 2022-23 (एक सत्र)** के लिए **स्नातक स्तर** पर **पूर्व संचालित संकाय/विषयो में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि** निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृत की जाती है

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय/विषय
लोक कल्याण सेवा समिति, पुराने लक्ष्मण मंदिर के पीछे, जिला भरतपुर।	मास्टर सोमनाथ लॉ कॉलेज, जिला भरतपुर।	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)

1. संस्था प्रत्येक सत्र मे निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था सत्र 2023-24 मे निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण मे बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटो का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय मे अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियो की पालना करना होगा।
10. **संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाऐं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।**
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल **WWW.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नही करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
5. कुल सचिव, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि0स0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

CamScanner